रजिस्टर्ड नं. 139/2004-2005

फार्म संख्या

कीमत 100/-

आदिवासी श्री मीना बालिका छात्रावास

हल्दीघाटी मार्ग, सेक्टर-15, प्रतापनगर, जयपुर : 0141.2796880 www.shreemeena.org

अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति द्वारा संचालित

आवेदन फार्म, प्रवेश नियम एवं निर्देशन पुस्तिका

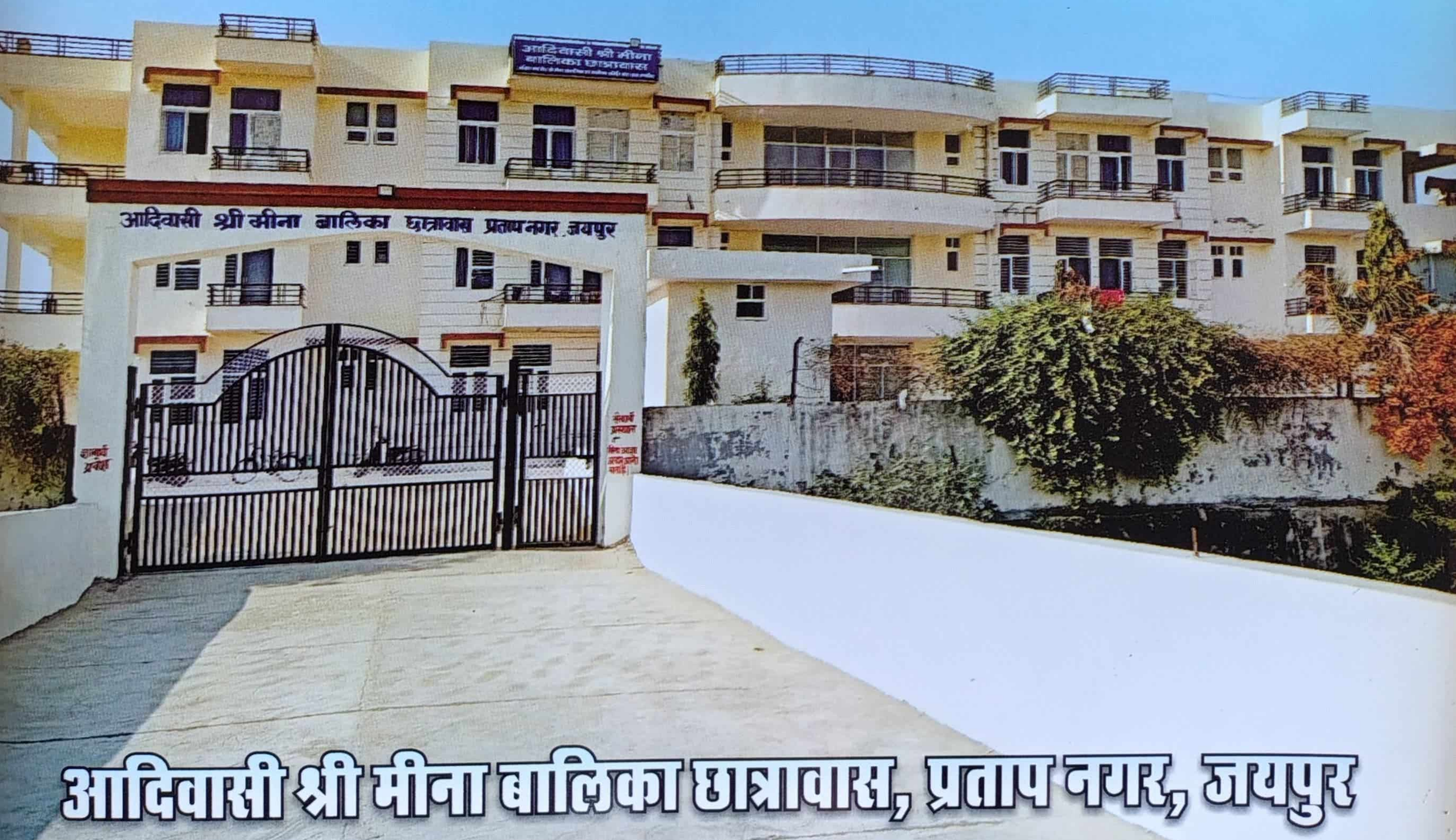

आदिवासी श्री मीना बालिका छात्रावास, प्रताप नगर, जयपुर

श्री मीना बालिका छात्रावास, कोटा

हवाई अड्डे के सामने, झालावाड़ रोड़, कोटा फोन : 0744-2436008

क्षमता - 108 कमरे 200 छात्राओं के लिए

लागत - लगभग 1.30 करोड़ रुपये

संचालित वर्ष : 2006 से

सुविधाएँ

- साफ सुथरे एयर कूल्ड कमरें। हरा भरा गार्डन
- मैस की व्यवस्था। परिवहन सुविधा उपलब्ध
- लाईब्रेरी सुविधा। 24 घंटे सुरक्षा प्रहरी
- सीसी टीवी कैमरे। इजी एप्रोच
- जनरेटर की सुविधा

जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर कोटा

लागत (प्रथम चरण)	:	15 करोड़ रुपये
क्षेत्रफल	:	30 एकड़ (75 बीघा)
निर्माण क्षेत्र एवं विकास (10000 वर्ग मीटर)	:	• परिसर विकास • सघन वृक्षारोपण

- प्रशासनिक भवन
- रजिस्ट्रार कार्यालय
- प्रवेश विभाग
- पुस्तकालय एवं वाचनालय
- कुलपति सचिवालय
- वित्त एवं लेखा विभाग,
- परीक्षा विभाग
- कम्प्यूटर लेब
- सभा कक्ष

प्रथम सत्र जुलाई 2022 से प्रस्तावित है।

website : www.jmadivasiuniversitykota.org

आदिवासी श्री मीना बालिका छात्रावास, प्रताप नगर–जयपुर

जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यहां पर सभी प्रकार की उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की सुविधा है।

जनजाति यथा मीना, सहरिया, भील, डामोर आदि राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ है। समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में, क्योंकि समाज की अधिकांश आबादी गाँवों में निवास करती है एवं प्रमुख व्यवसाय कृषि पर आधारित है। समाज बालिका शिक्षा के महत्व को समझने लगा है। समाज की होनहार बालिकाएं परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने एवं जानकारी के अभाव में अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण नही कर पाती है एवं अभिभावक सुरक्षा कारणों से भी अपनी बालिकाओं को शिक्षा हेतु अकेली जयपुर में नही भेजना चाहते है। अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति द्वारा प्रताप नगर, जयपुर में एक तीन मंजिला 75 कमरों का बालिका छात्रावास बनाया है जो कि सभी सुख सुविधाओं से युक्त है जिसमें समाज की होनहार बालिकाओं को जयपुर में रहकर उच्च शिक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अवसर मिलेगा।

1. छात्रावास की स्थिति :

आदिवासी श्री मीना बालिका छात्रावास, हल्दीघाटी मार्ग, सेक्टर–15 प्रताप नगर, जयपुर में मेवाड़ अर्पाटमेंट के पास स्थिति है। जो कि 3000 वर्ग मीटर भू–खण्ड पर बना हुआ है। यहां से आवागमन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

2. छात्रावास में प्रवेश हेतु पात्रता :

1) राजस्थान की मूल निवासी छात्राएँ।

2) प्रदेश की ऐसी छात्राएँ जिनके जयपुर शहर में स्वयं का मकान नहीं हो।

3) जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं हो।

4) बीपीएल परिवार की बालिकाओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी।

5) छात्रावास में प्रवेश स्नात्तक/स्नात्त्कोत्तर, मेडिकल, इंजीनीयरिंग व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु दिया जावेगा।

6) छात्रावास में सीटें रिक्त होने की स्थिति में शहर में रहने वाली छात्राएँ जिनके स्वयं का मकान हो /आयकर दाता माता पिता की छात्राओं के प्रवेश पर भी विचार किया जायेगा। उसके बाद भी सीटें यदि रिक्त रहती है तो अन्य राज्य/अन्य वर्गों की छात्राओं के प्रवेश पर भी विचार किया जा सकेगा।

7) प्रदेश के सभी जिलों की बालिकाओं को समान रूप से प्रवेश मिले इस हेतु संभागवार लगभग निम्नानुसार सीटें आरक्षित करने का निर्णय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया है।

जनजातियों की जनसंख्या मुख्य रूप से कोटा, जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर संभाग में अधिक पाई जाती है, अत: इन संभागों में प्रत्येक जिले की न्यूनतम संख्या 5 को रखते हुए 25–25 सीटें प्रत्येक संभाग हेतु आरक्षित रखी गई है।

इसके अतिरिक्त जोधपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग में जनजातियों की जनसंख्या काफी कम है। अत: प्रत्येक जिले की न्यूनतम संख्या 3 रखते हुए उस संभाग में 10–10 सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया।

यदि संभाग में किसी जिले में न्यूनतम अनुपात के अनुसार सीटे नहीं भरती है तो उस संभाग के अन्य जिलों की छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा एवं किसी संभाग की सीटें भी पूर्ण नहीं भरती हैं तो प्रदेश के अन्य जिलों को प्रवेश देने पर विचार किया जायेगा।

3. छात्रावास प्रबंधन :

अ) छात्रावास का संचालन अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति, कोटा द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया जाता है।

ब) छात्रावास का प्रशासनिक नियंत्रण समिति द्वारा नियुक्त वार्डन के अधीन होगा, समिति वार्डन की सहायता के लिए एक या अधिक सहायकों की भी नियुक्ति कर सकती है।

स) छात्रावास प्रबंधन के बारे में वार्डन एवं समिति के पदाधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

4. सुविधाएँ :–

छात्रावास में 75 कमरे उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक कमरे में 2 बालिकाओं के रहने की व्यवस्था है। सभी कमरें वातानुकुलित है एवं अटेच लैट–बाथ है। प्रत्येक कमरे में टेबल, कुर्सी, अलमारी, पलंग, गद्दा, पंखा आदि उपलब्ध है। स्वच्छता एवं साफ पानी हेतु एक्वागार्ड लगाये हुए है। छात्रावास में पुस्तकालय/वाचनालय एवं इनडौर गेम्स की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

5. भोजनालय :–

छात्रावास परिसर में आधुनिक सुविधायुक्त भोजनशाला एवं डायनिंग हाल है मैस का संचालन अनुबंध के आधार पर है। छात्रावास वार्डन एवं समिति के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर भोजन की गुणवत्ता व मापदण्डो पर नियंत्रण हेतु निरीक्षण किया जावेगा। भोजन शुल्क प्रतिमाह अनुबंधकर्ता को अग्रिम देय होगा। समिति भोजन की गुणवत्ता एवं मासिक दर पर नियंत्रण रखेगी।

6. सफाई व्यवस्था :

छात्रावास में कमरों को छोड़कर शेष भवन/परिसर की सफाई व्यवस्था अनुबन्ध के आधार पर की जावेगी। अपने कमरों की सफाई छात्राओं द्वारा स्वयं की जावेगी।

7. सुरक्षा व्यवस्था :

छात्राओं एवं छात्रावास परिसर की सुरक्षा के लिए 24 घण्टे सुरक्षा प्रहरियों की व्यवस्था सुरक्षा एजेन्सी के माध्यम से अनुबन्ध पर की जावेगी। छात्रावास परिसर में सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक छात्रा के आने–जाने की प्रविष्टी की जावेगी। परिजनों को छात्राओं के कमरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

परिजन छात्राओं से प्रतिक्षा–कक्ष में मिल सकते है।

छात्रावास प्रबन्ध समिति द्वारा छात्रावास की सुरक्षा हेतु निर्धारित नियम बनाये हुए है। अत : छात्राओं व परिजनों से अपेक्षा की जाती है कि वह सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियमों का पालन करें।

8. यातायात व्यवस्था :

छात्रावास मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण उपयुक्त आवागमन के साधन 24 घण्टे उपलब्ध रहते है।

9. छात्रावास शुल्क :

(अ) प्रवेश के समय एक मुश्त शुल्क :

1.	प्रवेश फार्म शुल्क	:	100
2.	प्रवेश शुल्क	:	500
3.	विकास शुल्क	:	2000
4.	फर्निचर शुल्क	:	200
5.	पुस्तकालय	:	200
6.	क्रीड़ा शुल्क	:	200
7.	काशन मनी	:	2000 (Refundable)
			5200/–

ब) मासिक शुल्क (प्रति छात्रा)

1.	कमरा किराया	:	1300/–
2.	विद्युत खर्च	:	500 /–
3.	पानी खर्च	:	200/–
			2000/–

छात्रावास शुल्क पर प्रतिवर्ष समिति विचार कर परिवर्तन करेंगी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्राओं को समिति उनके आवेदन पर अलग से विचार करके आर्थिक सहायता उपलब्ध करायेगी।

प्रवेश शुल्क एवं मासिक शुल्क प्रवेश के समय पूरा जमा करना होगा एवं मासिक शुल्क प्रतिमाह 5 तारीख तक जमा करवाना होगा अन्यथा प्रतिदिन 10 रुपये पेनेल्टी लगाई जावेगी।

निदेशक

अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति ,कोटा

❑❑❑

छात्रावास के नियम

1. छात्राएं उन्हें कमरें में उपलब्ध कराई गई सामग्री यथा पंखा, ट्यूब लाईट, अलमारी, पलंग, गद्दा, कुर्सी मेज व अन्य सामानों की सुरक्षा एवं हिफाजत के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी।
2. कमरों में बिजली के उपकरण, हीटर, टीवी, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम इत्यादि प्रयोग में लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. किसी भी छात्रा को अपने परिजन/रिश्तेदार को छात्रावास में निवास करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. छात्रा के माता–पिता/भाई बहन या अधिकृत स्थानीय संरक्षक केवल रविवार को ही वार्डन की अनुमति से छात्रावास परिसर में मिल सकेंगे। अन्य व्यक्तियों से मिलने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
5. छात्राओं को अपने निवास स्थान पर जाने हेतु माता–पिता की सहमति के उपरान्त ही अनुमति दी जा सकेगी।
6. छात्राओं द्वारा अपने माता–पिता/अधिकृत संरक्षक का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा जिनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सके एवं किसी भी प्रकार की सूचना से अवगत कराया जा सके।
7. छात्रावास में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं रखने दी जावेगी।
8. किसी भी छात्रा को अधिकतम तीन साल तक ही छात्रावास में निवास की अनुमति होगी।
9. छात्रावास संचालन समिति, वार्डन के साथ किसी भी समय छात्रावास का निरीक्षण कर सकेंगी।
10. कमरों की सफाई व्यवस्था स्वयं छात्राओं द्वारा की जायेगी।
11. छात्रावास से बाहर रात्रि विश्राम करने की अनुमति माता–पिता के निवेदन पर ही वार्डन द्वारा प्रदान की जावेगी इस हेतु नियुक्त वार्डन से आवेदन पत्र में अंकित माता–पिता के फोन पर वार्ता करना आवश्यक होगा।
12. किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार/अनाधिकृत कृत्य या छात्रावास के नियमों का उल्लंघन पर वार्डन की अनुशंसा पर संचालन समिति तुरन्त छात्रावास खाली करवा सकती है।
13. छात्राओं को छात्रावास भवन एवं परिसर की सफाई व स्वच्छता को बनाये रखना होगा।
14. प्रवेश फार्म के साथ माता–पिता एवं स्थानीय संरक्षकों के दो–दो फोटो आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।
15. प्रवेश ले रही छात्रा के माता–पिता को प्रवेश फार्म के साथ उपलब्ध कराये जा रहे प्रारूप पर स्वयं के एवं अधिकृत स्थानीय संरक्षकों के फोटो एवं सूचना प्रमाणित करना होगा।
16. अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति को इन नियमों/उपनियमों में संशोधन/संवर्धन करने का पूर्ण अधिकार होगा। समिति आवश्यकतानुसार कभी भी संशोधन कर सकती है।
17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में छात्रावास का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

फार्म नं. ....

आदिवासी श्री मीना बालिका छात्रावास

प्रताप नगर–जयपुर

(छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र)

आवेदक
द्वारा
हस्ताक्षरित
रंगीन
फोटो

पंजीकरण संख्या

मैं आपके छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन कर रही हूँ। मेरा पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :-

1. आवेदक का पूरा नाम ....मोबाईल ....

2. पिता का नाम ....मोबाईल ....

3. माता का नाम ....मोबाईल ....

4. जाति (एस.टी.,एस.सी./ओबीसी /सामान्य) ....

5. पिता का व्यवसाय ....

6. आयकर दाता हाँ / नहीं .... पेन नं. ....

7. वर्तमान पता ....

8. स्थायी पता ....

10. कॉलेज/ कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया है उसका नाम ....

जमा कराई गई फीस की रसीद संख्या व राशि ....

11. स्थानीय संरक्षक का नाम व पता ....

(जिन्हें माता-पिता द्वारा नामित किया गया है)..

(मोबाईल नं.) ....

12. आरक्षित वर्ग की छात्रायें जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें ....

13. अन्य कोई विवरण जो आवेदक देना चाहती हो ....

....

14. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण

क्र. सं.	उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	संस्थान का नाम	डिवीजन	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	कक्षा 10वीं						
2	कक्षा 12वीं						
3	स्नात्तक						
4	स्नात्तकोत्तर						
5	अन्य						
6							

आवेदक द्वारा की गई घोषणा

मैं संस्थान द्वारा बनाये नियमों से सहमत हूँ। यदि मेरे द्वारा दिया विवरण गलत पाया जाता है अथवा मैं संस्थान के नियमों का उल्लंघन करती हूँ या किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त पायी जाती हूँ तो प्रबन्ध समिति मेरा प्रवेश निरस्त कर सकती है। मैं संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये फर्नीचर, पंखे इत्यादि के प्रति पूर्णतया जिम्मेदार रहूँगी एवं उनके गुम एवं टूटफूट का हर्जाना मेरे द्वारा देय होगा। मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त समस्त विवरण सही है। मैं यह भी प्रमाणित करती हूँ कि मैं किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में कार्यरत नहीं हूँ। यदि छात्रावास में रहते समय में नौकरी लग जाती हूँ तो तुरन्त कमरा खाली कर दूंगी।

मेरी पुत्री का छात्रावास परिसर में या बाहर यदि किसी भी आपराधिक गतिविधि अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि में संलग्न पाई जाने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी।

पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर   दिनांक ....   आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

संलग्न दस्तावेज

1. जाति प्रमाण पत्र
2. अंक तालिकाओं की प्रति
3. कोचिंग/संस्था का प्रवेश पत्र व फीस रसीद की प्रति
4. संरक्षकों के दो-दो फोटो

कार्यालय उपयोग हेतु

पंजीकरण संख्या ....

शुल्क प्राप्ति रसीद संख्या .... दिनांक .... रूपये ....

आवंटित रूम संख्या ....

हस्ताक्षर प्रबन्ध समिति

हस्ताक्षर वार्डन

आदिवासी श्री मीना बालिका छात्रावास, प्रताप नगर–जयपुर

निवास कर रही छात्राओं से मिलने वाले अधिकृत परिजनों का विवरण

पंजिकरण क्रमांक :

दिनांक ....

1. छात्रा का नाम .... मोबाईल ....
2. पिता का नाम .... मोबाईल ....
3. माता का नाम .... मोबाईल ....
4. वर्तमान पता ....
5. स्थाई पता ....
6. प्रवेश की तिथि ....

मिलने वाले अधिकृत परिजनों का विवरण मय फोटो

पिता का फोटो	माता का फोटो	अधिकृत स्थानीय संरक्षक का फोटो	अधिकृत स्थानीय संरक्षक का फोटो

1. नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. पता ....
4. मोबाईल ....

नोट : माता/पिता एवं संरक्षक के फोन नं. देना आवश्यक होगा।

पिता के हस्ताक्षर

माता के हस्ताक्षर

श्री मीना सामुदायिक भवन एवं अतिथिगृह

अहिंसा सर्किल, श्रीनाथपुरम, कोटा (राज.)

लागत -लगभग 4 करोड़ रुपये

क्षमता- 28 कमरे

संचालित-वर्ष 2014 से

सुविधाऐं : ● उत्तम घास युक्त लॉन/गार्डन
● नियमित ठहरने के लिए वातानुकुलित कमरे
● कान्फ्रेस हॉल/मिटिंग हॉल उपलब्ध ● केन्टीन की सुविधा
● खुला एवं स्वच्छ वातावरण ● समाज के सदस्यों के लिए आधी दरों पर ठहरने हेतु कमरा उपलब्ध ।

लागत -
लगभग 1.00 करोड़ रुपये

क्षमता -
65 कमरे 130 छात्रों के लिए
संचालित : वर्ष 2008 से

सुविधाऐं -
- साफ सुथरे हवादार कमरे
- खुला वातावरण
- मैस की व्यवस्था
- सभी समाजों के लिए उपलब्ध

शिक्षा सहायता योजनाऐं

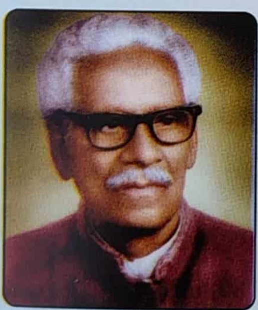

अ) कालाबादल शिक्षा सहायता योजना :-

हाड़ौती क्षेत्र के जनजातीय प्रतिभावान छात्र/छात्राओं जिनके स्नातक/स्नातकोत्तर कला वर्ग में 60 प्रतिशत, वाणिज्य में 65 प्रतिशत व विज्ञान में 70 प्रतिशत या अधिक अंक या जिन छात्र/छात्राओं ने (IAS/RAS) की प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा पास कर ली है उनको आर्थिक सहायता या सुविधाएं प्रदान करना।
जिन छात्र/छात्राओं के 10वीं/12वीं में 85 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हों उन प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को सम्मानित करना।

ब) लक्ष्मीनारायण झरवाल शिक्षा सहायता योजना :-

यह योजना प्रदेश की सम्पूर्ण जनजातीय छात्राएं जिन्होंने स्नातक कला वर्ग में 60 प्रतिशत, वाणिज्य वर्ग में 65 प्रतिशत व विज्ञान वर्ग में 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हो या जो उपरोक्त अंकों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं (IAS/RAS) की तैयारी कर रही हो तथा प्रारम्भिक या मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो को मेरिट के आधार पर चयन कर आर्थिक सहायता/अन्य सुविधाएं प्रदान करना।

LOCATION MAP

अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति, कोटा

कार्यकारिणी

अध्यक्ष	कार्यकारी अध्यक्ष	निदेशक:
लक्ष्मण मीना (Retd.IPS)	महावीर मीना	आर.डी. मीना (RAS Retd.)
मो. 94133 88266	मो. 94141 88488	मो. 94141 80289

उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
कमला मीना	भरत मारन	रामचरण मीना	ताराचन्द मीना (IAS)	हरिसिंह मीना (RAS)
मो. 9413828120	मो. 9414191144	मो. 9001801111	मो. 9414027148	मो. 9414056825

उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सह- निदेशक:	सचिव:	कोषाध्यक्ष:	तकनीकी सलाहकार
सीताराम मीना (IRS)	रघुवीर मीना (रेलवे)	हरिनारायण मीना	दीन दयाल मीना	हरिप्रकाश मीना	कमल मीना
मो. 87278 70055	मो. 8209258619	मो. 94140 42013	मो. 92145 82838	मो. 9414288777	मो. 9413386308

एवं समस्त सदस्य अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति, कोटा